

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

परचा डिफ्री
क्रमांक सं० : 159/2024

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडसरिया आर.ए.एस.

निवासी :

1. मंगलसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

बनाम

:-वादी

1. महेन्द्र पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. महिपाल पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. रणधीर पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. रामसिंह पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
5. रामीदेवी पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
6. रोशनीदेवी पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
9. राजबाला पत्नी रणधीर सिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभूराम गोदारा तथा वकील प्रतिवादीगण श्री सन्दीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादभूमि रोही मौजा चक 8 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 235/8 के मु0 नं0 56, 57, 82, 83, की 6.0720 है0 नहरी वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक मू.अ. /25/479 दिनांक 06.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा चक 8 जे0एस0एल0 का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा चक 8 जे0एस0एल0

मंगलसिंह पुत्र रामकरण 1/2 हिस्सा रामीदेवी पत्नी पृथ्वीसिंह 1/2 हिस्सा जाति जाट साकिन भिरानी खातेदार :- रोही मौजा चक 8 जे0एस0एल0 मु0नं0 57 कि0नं0 21-22 की 0.506 है0, मु0नं0 56 कि0नं0 25/1 की 0.098 है0, मु0नं0 82 के कि0नं0 1-2 की 0.506 है0, कि0नं0 9 ता 12 की 1.012 है0, कि0नं0 19-20 की 0.506 है0, मु0नं0 83 के कि0नं0 5/1 की 0.098 है0, कि0नं0 6/1 की 0.098 है0, कि0नं0 15/1 की 0.098 है0, कि0नं0 16/1 की 0.098 है0 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 3.02 है0।

महेन्द्र, महिपाल, रणधीर, रामसिंह, पि0 अमीचन्द 2.6725 है0 राजबाला पत्नी रणधीर 0.3795 है0, जाति जाट साकिन भिरानी खातेदार :- रोही मौजा चक 8 जे0एस0एल0 मु0नं0 56 के कि0नं0 23-24 की 0.506 है0, कि0नं0 25/2 की 0.155 है0, मु0नं0 83 के कि0नं0 3-4 की 0.506 है0, कि0नं0 5/2 की 0.155 है0, कि0नं0 6/2 की 0.155 है0, कि0नं0 7-8 की 0.506 है0, कि0नं0 13/1 की 0.240 है0, कि0नं0 13/2 की 0.013 है0 गै0मु0 रास्ता, कि0नं0 14/1 की 0.240 है0, कि0नं0 14/2 की 0.013 है0 गै0मु0 रास्ता, कि0नं0 15/2 की 0.149 है0, कि0नं0 15/3 की 0.006 है0 गै0मु0 रास्ता, कि0नं0 16/2 की 0.155 है0, कि0नं0 17 की 0.253 है0 कुल कित्ता 17 कुल रकबा 3.052 (नहरी 3.02, गै0मु0 रास्ता 0.032 है0)।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को परचा डिफ्री का भाग पढ़ा जावे।


यह परचा डिफ्री आज दिनांक 08.10.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की



(निधि उडसरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़



नोट :- परचा डिफ्री के पेज सं० 1 की पंक्ति

संख्या 25 में "रहन मुक्त होने के

उपरांत के स्थान पर विभाजन के 9/5 के

सह विभाजन हिस्से पर सिफ्ट कर चकाएर रखा जाके

पत्रांक

निधि उडसरिया
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा